न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 186/2021 **दायर दिनांकः 12/11/2021**

उनवान

1. सुन्दर बाई आयु 55 वर्ष पुत्री किशनलाल पत्नि कंवरलाल जाति बंजारा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. गोरा बाई आयु 53 वर्ष पुत्री किशनलाल पत्नि हजारीलाल जाति बंजारा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादियागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी. एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 31/03/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादियागण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का केरवालिया तह० अटरू में मुताबिक जमाबंदी संवत 2071—2074 में वादियागण के पिता के खाते की भूमि खाता संख्या 22 का खसरा नं0 274 का रकबा 0.98 है0 स्थित है। नकल जमाबंदी संलग्न है जो काबिल गौर है। वादियागण के पिता के पिता (वादियागण के दादाजी) का सही नाम रामा है। लेकिन वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादियागण के पिता के पिता का नाम रामा के स्थान पर बाला गलत दर्ज हो रहा है। वादियागण के पिता की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में वादियागण के पिता की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में वादियागण के पिता के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादियागण के नाम फौती इन्तकाल नहीं खुल पा रहा है। इसलिए वादियागण उक्त वर्णित आराजी में अपने पिता के पिता के नाम बाला के स्थान पर सही नाम रामा दर्ज करवाना चाहती है। वादियागण के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में वादियागण के पिता के पिता का नाम रामा सही दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादियागण के पिता के पिता

का नाम बाला के स्थान पर रामा दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादिया के पिता के पिता का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो वादियागण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभवन नहीं होगी। अस्तु वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादियागण के पिता के पिता का नाम किशनलाल पुत्र बाला के स्थान पर सही नाम किशनलाल पुत्र रामा दर्ज किया जावे। वाद कारण दिनांक 10.09.2021 को उक्त आराजी में वादियागण के पिता के पिता का नाम रामा के स्थान पर बाला दर्ज होने की पटवारी हल्का से मालूम होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त आराजी ग्राम एवं नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादियागण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादियागण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे किः–

(क) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादियागण के पिता के पिता का नाम बाला के स्थान पर सही नाम रामा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

(ख) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादियागण को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 व pw2 के शपथ पत्र पेश किये गये। pw1 जगदीश पुत्र बूचीलाल निवासी नृसिंहपुरा ने अपने गवाह बयानों में बताया कि रामाजी के एक लडका किशनलाल था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वादीयागण के पिता किशनलाल पुत्र रामाजी के नाम खाता संख्या 22 की 0.98 है0 भूमि स्थित है जिसे सुन्दरबाई व गौरा बाई काश्त करती है। इनके बाबा का नाम रामा था जो सहवान से बाला दर्ज हो गया। इसलिए वादीयागण का फौती इंतकाल नहीं खुल सका। बाला का सही नाम रामा ही था। pw2 भीमराज पुत्र मांगीलाल जाति बंजारा निवासी नृसिंहपुरा ने अपने गवाह बयानों में बताया कि सुन्दर बाई व गोरा बाई व उनके पिताजी किशनलाल तथा

रामाजी को जानता हूॅ। खाता संख्या 22 की 0.98 है0 भूमि में वादियागण के दादाजी का नाम बाला दर्ज हो चुका है इनका सही नाम रामा है। सुन्दरबाई व गौरा बाई ही रामा की वारीस है।

अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी में वादियागण के पिता के पिता का नाम बाला के स्थान पर सही नाम रामा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2071–2074 ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 22 की कुल किता 1 रकबा 0.98 है0 आराजी किशनलाल पुत्र बाला के दर्ज खाता स्थित है। किशनलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र में किशनलाल पुत्र रामा अंकित है। ग्राम पंचायत केरवालिया के प्रमाण पत्र दिनांक 18.11.2021 अनुसार किशनलाल पुत्र रामा जाति बणजारा ग्राम नृसिंहपुरा तह0 अटरू जिला बारां का मूल निवासी था जिसकी मृत्यु करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है।

अतः न्यायहित में वादियागण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयागण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 22 की ख0नं0 274 रकबा 0.98 है0 में खातेदार किशनलाल पुत्र बाला के स्थान पर किशलनाल पुत्र रामा दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/03/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 186/2021

उनवान

1. सुन्दर बाई आयु 55 वर्ष पुत्री किशनलाल पत्नि कंवरलाल जाति बंजारा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. गोरा बाई आयु 53 वर्ष पुत्री किशनलाल पत्नि हजारीलाल जाति बंजारा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादियागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....र................ रूबरू..............र..............................
बहाजिर :—
वादीयागणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 22 की ख0नं0 274 रकबा 0.98 है0 में खातेदार किशनलाल पुत्र बाला के स्थान पर किशलनाल पुत्र **रामा** दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **31.03.2022** को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)